## Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता,
	(Adverse comments made by any	अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत
	officer or authority in Part-B or	पारेषण कंपनी गुढ़ियारी, रायपुर को गरियाबंद एवं धमतरी
	Part-C or Part -D above should be	वनमंडल तथा उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद
	specifically commented upon)	अंतर्गत (आरक्षित वन भूमि 15.533 हे., संरक्षित वन भूमि
		75.941 हे. एवं राजस्व वन भूमि 19.982 हे.) कुल 111.456
		हे. आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन
		भूमि को 132 के.व्ही. नगरी—इंदागांव विद्युत पारेषण लाईन
		निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम
		1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा
		स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date:

1 -02-2018

Place:

Raipur

Signature

Name

Designation

daltonal Chief Secretary Govt. of Chhattisgarh - Architish bebahling necretary,

Mantralaya Naya Raipu

Forest Department